न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ

पीठासीन अधिकारीः **ओमप्रकाश सहारण RAS**

न्याय निर्णयन प्रकरण संख्याः–**16 / 23** (खाद्य पदार्थ नमुना संख्या के, **(1472)**

राजस्थान सरकार जरिये हंसराज गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्थास्थ्य अधिकारी श्रीगंगागनगर प्रार्थी

बनाम

श्री सुभाष चंद्र पुत्र श्री जुगल किशोर अग्रवाल (विक्रेता व मालिक) मैसर्स जुगल किशोर देवेन्द्र कुमार, वार्ड नं. 23 न्यू लाइट सिनेमा रोड, रायसिंहनगर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा **26 (2)51 FSSA Act 2006**

निर्णय **दिनांकः– 03.07.2024**

यह इस्तगासा **तत्कालीन लक्ष्मीकांत गुप्ता** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की **धारा 51** एफ. एस. एस. ए 2006 के अन्तर्गत पेश किया है। प्रस्तुत इस्तगासा में वर्णित तथ्य इस प्रकार हैः– यह है कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी **लक्ष्मीकांत गुप्ता** दिनांक **22.03.2022** को दोपहर **01:00 बजे** बजे पर निरीक्षनार्थ मैसर्स– **जुगल किशोर देवेन्द्र कुमार वार्ड नं. 23 न्यू लाइट सिनेमा रोड, रायसिंहनगर** का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान **सुभाष चंद्र पुत्र श्री जुगल किशोर अग्रवाल (विक्रेता व मालिक)** संस्थान पर मालिक **सुभाष चंद्र पुत्र श्री जुगल किशोर अग्रवाल (विक्रेता व मालिक)** कारोबार कर रहा था, जिसका विक्रेता व मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञा पत्र कौके पर नही दिखाया। केवल मौखिक रूप से आवेदन करना बताया।

यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान में **एक प्लास्टिक कट्टें में लगभग 30 किलो गुड़** खाद्य पदार्थ के रूप में विक्रय हेतु रखा था। इसी **गुड़** शुद्धता की जॉच हेतु विक्रेता एंव मालिक को मौके पर फार्म नं0 5 ए भरकर प्रति नमुना सूचनार्थ दी गई गवाहान व स्वयं के हस्ताक्षर कर किक्रेता के हस्ताक्षर करवा के फॉर्म संख्या 5 ए की प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और खरीद प्राप्ती रसीद ली जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **एक किलो गुड़** लिये। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **गुड़** का नगद **भुगतान 60** रूपए किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विकेता व गवाहान के हस्ताक्षर हैं और मेरे भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है एवं सिरीयल नम्बर के–**1472** दर्ज किया। प्रत्येक जार में फॉर्मेलिन की 20–20 बूंदें डाली गई और जार को अलग अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डिओ गंगानगर की हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप के–**1472** नियमानुसार चारो नमुनो पर निचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमुना भाग को पेपर स्लिप उपर धागे से बॉधकर नियमानुसार चार–चार जगह ब्रास सिल से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमुना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये की पेपर स्लिप व रेपर दोने पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण **के– 1472 गुड़** लिखकर हस्ताक्षर किये। चारों नमुना भागो को अपने जाब्ते में लिया एवं मौके पर मौके फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहों मौके पर पढकर सुनाकर समझाकर हसताक्षर करने को कहा जो उन्होने पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं मैने स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर कियें।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुॅचकर फार्म नं0 6 की प्रतिया तैयार की और प्रत्येक पर वह नमुना सिल लगाई जिससे नमुना सील किया। एक नमुना भाग मय फार्म नं0 6 की आउटर कवर में सील बंद कर सिल मोहर कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी तत्कालीन श्रीगंगानगरं के द्वारा जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। फॉर्म संख्या 06 की दो प्रति [illegible] सील मोहर कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर को जमा करवाकर फॉर्म सं0 6 [illegible] रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सिल बंद नमुना भाग में फॉर्म नं [illegible] की दो [illegible] के आउटर कवर में सिल बंद कर तथा नमुने का चौथा भाग डीओ मुख्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी [illegible] को मेरे स्वयं के द्वारा जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2024.09.10 14:16:25 IST
Reason: SelfAttested

यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी को **डीओ एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वा[illegible] अधिकारी श्रीगंगानगर के पत्र क्रमांक FSSA/2022/360-61 दिनांक** 15.04.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि [illegible] विश्लेशक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोग शाला राजस्था.न बीकानेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट **क्रमांक L.S.506/Act/2022/506 दिनांक** 08.04.2022 अनुसार उक्त नमुना **Sub Standard Food** पाया गया। खाद्य विश्लेशक बीकानेर की जॉच रिर्पाट न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पत्रावली, कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभीहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने पत्र **क्रमांक 17694–695 18.07.2023** के द्वारा **अवधि** पार खाद्य पदार्थ के नमून के प्रकरणों की अभियोजन समय सीमा बढाने एवं माननीय न्यायालय में केस लगान की स्वीकृति प्रदान हेतु आवेदन किया है।

न्याय निर्णयन अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के पत्रांक आयुक्ता/खा.सु.ओ. नि./स.सी./2023/3048 दिनांक 26.09.2023 के द्वारा वर्तमान खाद्य सुरक्षा अधिकारी कंवरपाल सिंह को उक्त प्रकरण को संस्थित करने हेतु अधिकृत किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में अभियोजन स्वीकृति पत्र **क्रमांक 1426–27 दिनांक 06.10.2023** संस्थित करने हेतु अधिकृत किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। अप्रार्थी द्वारा **गुड़** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)52 **FSSA Act 2006**

श्रीमान जी से निवेदन है कि अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अकुश लग सके।

गैरसायल द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकन किया कि गैरसायल द्वारा उक्त गुड़ उतरप्रदेश से आता है और गैरसायल के द्वारा किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है एवं गैरसायल के द्वारा गुड़ में पाई गई मिलावट को लेकर कम से कम जुर्माना लगाने हेतु निवेदन किया है।

खाद्य निरीक्षक द्वारा इस्तगासा में दर्ज सभी आरोपो को निराधार बताया, एवं निवेदन किया कि खाद्य विशलेशक की रिपोर्ट में विश्लेषण रिपोर्ट एफ.एस.एस.ए अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अंकित माप दण्ड अनुसार **गुड़** अमानक पाया गया है। तथा मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा हो ऐसा कोई हानिकारक मिश्रण **गुड़** में होना खाद्य विश्लेषक अथवा खाद्य निरीक्षक द्वारा इस्तगासा मे दर्ज नही किया गया है। बहस गैरसायल प्रार्थी प्रस्तुत जबाव तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया, गैरसायल के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट खाद्य विश्लेषक प्रयोग शाला **बीकानेर दिनांक 08.04.2022** में गुड़ एफ.एस.एस.ए. अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii) का उलंघन करते हुए नमुना **1472 Sub Standard** पाया गया है। अतः एफ.एस.एस.ए 2006 की धारा 26(2)**52** के अन्तर्गत प्रावधान के मध्य नजर **गैरसायलफर्म मैर्सस सुभाष चंद्र पुत्र श्री जुगल किशोर अग्रवाल (विक्रेता व मालिक) मैसर्स जुगल किशोर देवेन्द्र कुमार, वार्ड नं. 23 न्यू लाइट, सिनेमा रोड़, रायसिंहनगर** रू 25000/– रूपये का आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसला भुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय आज दिनांक 03.07.2024 को सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अनूपगढ

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2024.09.10 14:16:25 IST
Reason: SelfAttested